

ब अदालत अपर समाहर्ता का न्यायालय, गोड्डा।

प्रथम पक्ष—

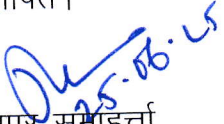
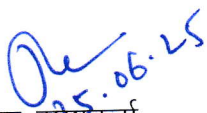
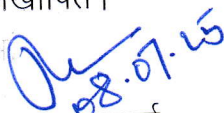
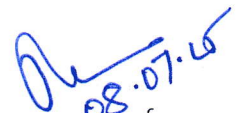
माला कुमारी, ग्राम—बिसाहा, पो0—लतौना, प्रखण्ड—पथरगामा, जिला—गोड्डा।

बनाम्

द्वितीय पक्ष—

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
गोड्डा।

विविध वाद सं0-01/2025

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.06.2025	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा (Complain ID-23306252300001) पर आवेदिका—माला कुमारी, पति—रतन कुमार ग्राम—बिसाहा, पो0—लतौना, प्रखण्ड—पथरगामा, जिला—गोड्डा का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त है। उक्त वाद की सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। सुनवाई की तिथि 08.07.2025 को निर्धारित की जाती है। लेखापित।  अपर समाहर्ता, गोड्डा।  अपर समाहर्ता, गोड्डा।	
08.07.2025	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित, द्वितीय पक्ष उपस्थित (Complain ID-23306252300001) पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा का पत्रांक—1267/जि0स0क0, दिनांक—05.07.2025 पत्र के आलोक में लाभुक का जन्म 10.02.2007 है एवं LMP दिनांक—25.11.2024 की है। जिससे स्पष्ट होता है कि उम्र 18 वर्ष पूर्ण नहीं है। नियमानुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लाभुक का सत्यापित नहीं किया जा सकता है। जिस कारण PMMVY Portal पर Online नहीं किया गया है। अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है। लेखापित।  अपर समाहर्ता, गोड्डा।  अपर समाहर्ता, गोड्डा।	